8:48 AM | 0.5KB/s ··· 57

उदारवाद का अर्थ, परिभाषा एवं विशेषताएं

By Bandey March 01, 2019

अनुक्रम

उदारवाद का विकास
उदारवाद की प्रमुख विशेषताएं, मान्यताएं व सिद्धान्त
समकालीन उदारवाद
उदारवाद का मूल्यांकन

'उदारवाद' शब्द अंग्रेजी भाषा के 'Liberalism' का हिन्दी
अनुवाद है। इसकी उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के शब्द 'Liberty' से

अनुक्रम

उदारवाद का विकास

उदारवाद की प्रमुख विशेषताएं, मान्यताएं व सिद्धान्त

समकालीन उदारवाद

उदारवाद का मूल्यांकन

उदारवाद का अर्थ, परिभाषा एवं विशेषताएं

8. **लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था का समर्थन –**

उदारवाद के आरिम्भक काल में उदारवादी विचारक व समर्थक मानव जीवन के राज्य के हस्तक्षेप का विरोध करते थे। उनका मत था कि व्यक्ति के जीवन में राज्य का हस्तक्षेप अनुचित है व मानवीय स्वतन्त्रता पर कुठाराघात करने वाला है। राज्य के कार्यों और उद्देश्यों के प्रति उदारवादियों का दृष्टिकोण लम्बे समय तक नकारात्मक ही रहा है। लेकिन वर्तमान समय में उदारवादियों का पुराना दृष्टिकोण बदल चुका है। अब सभी उदारवादी यह बात स्वीकार करने लगे हैं कि राज्य का उद्देश्य सामान्य कल्याण की साधना करना है। राज्य का उद्देश्य या कार्य किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष तक ही सीमित न होकर सम्पूर्ण मानव समाज के हितों के पोषक हैं। राज्य ही वह संस्था है जो परस्पर विरोधी हितों में सामंजस्य स्थापित करके सामान्य कल्याण में वृद्धि करता है। आधुनिक उदारवादी आज के समय में लोक कल्याणकारी राज्य के विचार के प्रबल समर्थक हैं। समाजवाद के विकास से इस विचार को प्रबल समर्थन मिला है। इसी कारण आज की सरकारें लोककल्याण के लिए ही कार्य करती देखी जा सकती है।

10:26 AM | 0.8KB/s ⏰ ···

विज्ञापन Eduncle Download

भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार :

भारतीय संविधान में छः मौलिक अधिकार दिए गए है |

(1) समता का अधिकार (अनुच्छेद 14 - 18)

(2) स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद19 - 22)

(3) शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23 - 24)

(4) धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25 - 28)

(5) संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (अनुच्छेद 29 - 30)

(6) संवैधानिक उपचार का अधिकार (अनुच्छेद 32)

1. समता का अधिकार : भारतीय संविधान में समानता को भारतीय राज्य तंत्र का आधारशिला माना गया है | इसमें सभी प्रकार से लोगों के बीच समानता स्थापित करने के अधिकार प्राप्त होते हैं |

"भारतीय संविधान द्वारा देश के किसी भी नागरिक को जाति, धर्म, रंगभेद, लिंग और जन्मस्थल के आधार पर उससे भेद भाव नहीं किया जायेगा | इसे ही समता का अधिकार कहते है |"

समता के अधिकार के अंतर्गत शामिल प्रावधान/बातें :

(i) कानून के समक्ष समानता

(ii) कानून का समान संरक्षण

(iii) धर्म, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेद भाव का निषेध

(iii) गिरफ्तारी के समय उसके घर वालों को सूचित करना आवश्यक है।

(iv) उसे यह भी जानने का अधिकार है कि उसे क्यों और किस कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है।

(v) मैजिस्टेट ही इस बात का निर्णय करेगा कि गिरफ्तारी उचित है या नहीं।

संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार : किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिवाय उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जायेगा।

किसी भी अपराध में अभियुक्त व्यक्तियों के अधिकार :

ये तीन प्रकार के हैं :

(1) किसी अपराध में दण्डित व्यक्ति अथवा अभियुक्त को कानून द्वारा निर्धारित दंड से अधिक दंड नहीं मिलना चाहिए।

(2) किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दण्डित नहीं किया जा सकता।

(3) किसी अपराध में अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता।

बल प्रयोग :

बल प्रयोग का अर्थ है अभियुक्त को विवश करना अथवा जबरदस्ती जो वह नहीं करना चाहता है वह करवाना, जैसे - डराना-धमकाना, चोट पहुँचाना, मारना-पीटना, अथवा गैर-कानूनी तरीके से कैद करना।

निवारक नजरबंदी :

संकोच नहीं किया है जिसकी उपयोगिता बुद्धि से परे हो।

3. **प्राकृतिक अधिकारों की धारणा में विश्वास –**

उदारवादियों का मानना है कि जीवन, सम्पत्ति एवं स्वतन्त्रता के अधिकार प्राकृतिक अधिकार हैं। स्वतन्त्रता के अन्तर्गत वैयक्तिक, नागरिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक राजनीतिक आदि समस्त प्रकार की स्वतन्त्रताएं शामिल हैं। हॉब्स हाऊस ने अपनी पुस्तक 'Liberalism' में नौ प्रकार की स्वतन्त्रताओं का वर्णन किया है। हॉब्स हाऊस का कथन है कि ये सभी स्वतन्त्रताएं व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए अक्षुण्ण महत्व की है। उदारवादियों का कहना है कि नागरिक के रूप में व्यक्ति के साथ किसी अन्य व्यक्ति या सत्ता को मनमाना आचरण करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। हॉब्स हाऊस तो अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में भी स्वतन्त्रता की बात करता है। उदारवादियों के प्राकृतिक अधिकारों के तर्क को इस बात से समर्थन मिल जाता है कि आज सभी प्रजातन्त्रीय देशों में मौलिक अधिकारों को विधि के अधीन संरक्षण प्रदान किया गया है।

4. **इतिहास तथा परम्परा का विरोध –** उदारवाद ऐसी परम्पराओं और ऐतिहासिक तथ्यों का विरोध करता है जो विवेकपूर्ण नहीं है। मध्ययुग में उदारवादियों ने उन सभी धार्मिक परम्पराओं का विरोध किया था जो सभी के विशेषाधिकारों की पोषक थी। उदारवाद का उदय भी मध्ययुगीन सामाजिक व्यवस्था तथा राज्य व चर्च की

9. **राष्ट्रीय आत्म-निर्णय के सिद्धान्त का समर्थन –** उदारवाद निरंकुशतावाद के किसी भी सिद्धान्त का प्रबल विरोधी है। उदारवादियों को प्रारम्भ से ही साम्राज्यवाद का भी प्रबल विरोध किया है। उदारवाद की प्रमुख मान्यता यह है कि प्रत्येक देश का शासन उस देश के निवासियों की इच्छा से ही संचालित होना चाहिए। इससे ही व्यक्ति की स्वतन्त्रता बनी रह सकती है। अत: उदारवाद राष्ट्रीय आत्म-निर्णय के अधिकार का प्रबल समर्थक है। यह स्वशासन के सिद्धान्त का ही समर्थन करता है।

10. **व्यक्ति साध्य तथा राज्य साधन –** उदारवादी विचारक व समर्थक इस बात पर जोर देते हैं कि व्यक्ति अपने हितों का निर्णायक है। मनुष्य अपने जीवन के हर कार्य में प्राकृतिक रूप से स्वतन्त्र है। इसी आधार पर यह एक साध्य है। राज्य तथा अन्य संस्थाएं उसके विकास का साधन है। आधुनिक उदारवादी विचारकों ने व्यक्ति और राज्य के बीच की खाई को कम करना शुरू कर दिया है। आधुनिक उदारवाद व्यक्ति और राज्य के बीच सामंजस्यपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने की वकालत करते हैं।

मध्ययुगीन सामाजिक व्यवस्था तथा राज्य व चर्च की निरंकुश सत्ता के विरूद्ध प्रतिक्रिया के रूप में हुआ है। उदारवादियों का मानना है कि प्राचीन व्यवस्था और परम्पराओं ने व्यक्ति को पंगु बना दिया है, इसलिए उदारवादी विचारक पुरातन व्यवस्था के स्थान पर परम्परायुक्त नवीन समाज का निर्माण करने की वकालत करते हैं। इंग्लैण्ड, फ्रांस और अमेरिका की क्रान्तियां इसी का उदाहरण हैं।

5. **धर्म-निरपेक्षता में विश्वास –** उदारवाद धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण का समर्थक है। उदारवाद का जन्म ही मध्ययुग में रोमन कैथोलिक चर्च के निरंकुश धार्मिक आधिपत्य के विरूद्ध प्रतिक्रिया के कारण हुआ था। उस समय चर्च और राजा दोनों व्यक्ति धार्मिक अन्धविश्वासों की आड़ लेकर अत्याचार करते थे। चर्च और राजसत्ता के गठबन्धन ने व्यक्ति को महत्वहीन बना दिया था। इसलिए उदारवाद की वकालत करने वाले सभी समाज सुधारकों व विचारकों ने धार्मिक अन्धविश्वासों के पाश से व्यक्ति को मुक्त कराने के लिए धर्म-निरपेक्ष के सिद्धान्त का प्रचार किया, मैकियावेली, बोंदा और हॉब्स जैसे विचारकों ने धर्म और राजनीति में अन्तर का समर्थन किया। इसी सिद्धान्त पर चलते हुए आज उदारवादी विचारक इस बात के प्रबल समर्थक हैं कि राज्य को धर्म-निरपेक्ष दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और व्यक्ति को धार्मिक मामलों में पूरी छूट मिलनी चाहिए।

12. **संवैधानिक शासन का समर्थन –** उदारवाद विधि के शासन को उचित महत्व देता है। उदारवादियों का मानना है कि विधि के शासन के अभाव में व्यक्ति की स्वतन्त्रता का हनन होता है और समाज में अराजकता फैल जाती है जिससे बलवान व्यक्तियों के हितों का ही पोषण होने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। इसलिए उदारवादी सीमित सरकार तथा कानून के शासन को उचित महत्व देते हैं। उदारवाद के समर्थक चाहे वे 19वीं सदी के हों या वर्तमान सदी के, सभी संवैधानिक शासन को ही मान्यता देते हैं।
13. **विश्व शान्ति में विश्वास –** सभी उदारवादी विचारक विश्व बन्धुत्व की भावना का प्रबल समर्थन करते हैं। उनका मानना है कि विश्व समाज के विकास से ही प्रत्येक देश का भला हो सकता है। इसलिए वे एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र की अखण्डता व सीमाओं का आदर करने की बात पर जोर देते हैं। उदारवादी अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में शक्ति प्रयोग के किसी भी रूप का विरोध करते हैं। इसी आधार पर उदारवादी विश्व शांति के विचार को व्यवहारिक बनाने पर जोर देते हैं।

इस प्रकार कहा जा सकता है कि उदारवाद मानवीय स्वतन्त्रता का पोषक है। वह मानवीय विवेक में आस्था व्यक्त करते हुए व्यक्ति के कार्यों में राज्य के अनुचित हस्तक्षेप पर रोक लगाने की वकालत करता है। आधुनिक समय में उदारवादी धर्म- निरपेक्षता